

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1113

दिनांक - 31/03/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण


1 धन्नाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट
निवासी बांकलसर कुर्जा (उण्डखा)
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 ताजाराम पुत्र पीथाराम वगैराह जाति जाट
निवासी बांकलसर, उण्डखा तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 12/2023 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा वांकलसर पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 405/90 रकबा 1.8616 हैक्टर व खसरा संख्या 400/48 रकबा 3.7555
हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल
पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/-
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अबाड़मेर

दिनांक 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1114-117

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. धन्नाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी बांकलसर कुर्जा (उण्डखा) तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी ताजाराम पुत्र पीथाराम वगैराह जाति जाट निवासी बांकलसर, उण्डखा तहसील व
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अबाड़मेर
बाड़मेर